अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग-1

संख्या 3530/सात-न्याय-1-2006

दिनांक: लखनऊ 20 सितंबर, 2006

अधिसूचना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मा. मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद, एतद्द्वारा अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-

(क). यह नियमावली इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 कही जाएगी;

(ख). यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी;

2. परिभाषाएँ- नियमावली में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) 'अधिनियम' से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से है;

(ख) 'धारा' से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ग) 'केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी' से तात्पर्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी से है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ स्थित उसकी पीठ तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए की गई है।

(घ) इस अधिनियम में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं तथा अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

(ङ) 'आवेदक' से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत किसी सूचना या निरीक्षण के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से है।

3. प्रत्येक आवेदन केवल एक विशिष्ट सूचना मद के लिए ही किया जाएगा।

4. प्रत्येक आवेदन के साथ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, या संबंधित जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश के पक्ष में जारी किया गया 500/- रुपये का नकद या ड्राफ्ट या भुगतान आदेश संलग्न होना चाहिए।

5. यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को सूचना तभी प्राप्त होगी जब वह उसे प्रदान की जाने वाली सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 15 रुपये की दर से नकद भुगतान कर देगा।

6. आवेदन में मांगी गई जानकारी को इस प्रकार पर्याप्त रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिससे बिना किसी कठिनाई, अस्पष्टता या संदेह के उसकी पहचान की जा सके।

7. इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी में लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

8. यदि सूचना प्रदान करने की लागत के रूप में कोई अतिरिक्त शुल्क आवश्यक होगा, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के विवरण, गणना सहित, के बारे में सूचना भेजेगा और अतिरिक्त शुल्क जमा करने का अनुरोध करेगा। उक्त सूचना भेजने और शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को तीस दिनों की अवधि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

9. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत सूचना या अपील के लिए आवेदन प्राप्त करने और 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

10. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सूचना चाहने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर विचार करेगा और ऐसे व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करेगा।

11. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने पर किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है।

12. यदि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के पास है या उसका विषय किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्यों से अधिक निकटता से संबंधित है, तो ऐसा आवेदन या उसका ऐसा भाग उस सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और आवेदक को उसके आवेदन के हस्तांतरण की सूचना दे दी जाएगी। आवेदन का ऐसा हस्तांतरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर किया जाएगा।

13. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, अनुरोध प्राप्त होने पर, या तो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आवेदक को सूचना प्रदान करेगा, या अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर अनुरोध को अस्वीकार कर देगा।

14. यदि अनुरोधित जानकारी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, तो अभिलेख के उस भाग तक पहुंच प्रदान की जा सकती है, जिसमें अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त कोई जानकारी नहीं है और जो अधिनियम की धारा 10 के तहत पृथक करने योग्य है।

15. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी किसी सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि ऐसा अनुरोध किसी व्यक्ति के पास विद्यमान कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित हो, जब तक कि अनुरोधित सूचना का कॉपीराइट राज्य में विद्यमान न हो।

16. यदि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

17. यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी निर्धारित तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

18. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी किसी भी संवेदी रूप से अक्षम व्यक्ति को, जो अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुँचने में असमर्थ है, सहायता प्रदान करेगा और ऐसी सहायता में अभिलेख के निरीक्षण के लिए उपयुक्त कोई भी सहायता शामिल होगी।

19. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उपधारा (1) के तहत वांछित सूचना प्रदान करने हेतु किए गए किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने से पहले, यदि कोई तृतीय पक्ष द्वारा अभ्यावेदन किया गया हो, तो उस पर विचार करेगा।

20. इन नियमों में कहीं और किसी भी बात के होते हुए भी आवेदक को मांगी गई जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, यदि और केवल यदि (ए) ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना है

(i) एक सकारात्मक दावे के साथ अनुरोध किया गया है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करने का मकसद उचित और कानूनी है;

(ii) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार;

(iii) उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के संसाधनों को बदलने की संभावना नहीं है;

(iv) संबंधित रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक होने की संभावना नहीं है और

(v) भौतिक संबंध में प्रचलित किसी कानून या प्रथा के विरुद्ध अन्यथा नहीं;

और (बी) वहां के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के बाद, माननीय मुख्य न्यायाधीश, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक, या इसकी लखनऊ बेंच के किसी अन्य माननीय न्यायाधीश से इस संबंध में अनुमति प्राप्त की गई है, जो उस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा सकता है या किया जा सकता है।

21. यदि अभिलेख के केवल एक भाग तक ही पहुँच प्रदान की जाती है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदक को एक सूचना देगा, जिसमें उसे सूचित किया जाएगा:

(क) कि अनुरोधित अभिलेख का केवल वही भाग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी वाले अभिलेख को अलग कर दिया गया है;

(ख) निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष शामिल है, और उन निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई सामग्री का उल्लेख;

(ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा गणना किए गए शुल्क का विवरण और आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क राशि; और

(ङ) सूचना के किसी भाग के गैर-प्रकटीकरण, प्रभारित शुल्क की राशि या प्रदान की गई पहुँच के स्वरूप के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, का विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुँच का कोई अन्य स्वरूप शामिल है।

22. यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी किसी सूचना या अभिलेख, या उसके किसी भाग का खुलासा करना चाहता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान किया गया है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, तो वह अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर उस तीसरे पक्ष को लिखित सूचना देगा कि वह सूचना या अभिलेख या उसके भाग का खुलासा करना चाहता है, और तीसरे पक्ष को दस दिनों के भीतर लिखित या मौखिक रूप से यह बताने के लिए आमंत्रित करेगा कि क्या ऐसी सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए। सूचना के खुलासे के संबंध में निर्णय लेते समय केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा।

23. यदि किसी तीसरे पक्ष को किसी सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया गया है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के चालीस दिनों के भीतर अभिलेख में दर्ज सूचना या उसके किसी भाग का प्रकटीकरण करने या न करने का निर्णय लेगा और अपने निर्णय की लिखित सूचना तीसरे पक्ष को देगा। किसी तीसरे पक्ष को जानकारी देने के फ़ैसले के बारे में दी गई सूचना में यह बताया जाता है कि संबंधित व्यक्ति उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है।

24. यदि किसी व्यक्ति को अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना या अनुरोध अस्वीकार करने का निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो वह अधिनियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध को अस्वीकार करने के निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अधिनियम के नियमों के तहत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

25. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसी कोई भी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालयों के मामले में और सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में प्राप्त की जा सकती है। ऐसी सूचना इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 या सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है।

26. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसी भी नागरिक के आवेदन पर विचार नहीं करेगा। न्यायिक मामलों से संबंधित जानकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली 1952 और सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।

27. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी किसी भी नागरिक से किसी भी ऐसे अभिलेख के निरीक्षण के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा जिसका निरीक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली 1952 और सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) के तहत किया जा सकता है।

****